न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः शकुन्तला चौधरी

राजस्व वाद सं. 55/2020

हमीद खां पुत्र अशरफ खां जाति कायमखानी निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिा झुंझुनूं

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर (कस्टोडियन) झुंझुनूं
2. मैनेजिंग ऑफिसर कस्टोडियन राजस्थान, जयपुर
3. तहसीलदार (कस्टोडियन) मलसीसर, जिला झुंझुनूं
4. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं
5. नूरजहां पत्नी स्व. रजाक खां
6. अयुब खां पुत्र स्व. रजाक खां
7. हनीफ खां पुत्र स्व. रजाक खां
8. शमशाद खां पुत्र स्व. रजाक खां
9. सलीम खां पुत्र स्व. रजाक खां
10. रफीक खां पुत्र स्व. रजाक खां
11. शरीफ बानो पत्नी मुश्ताक खां
12. अयुब खां पुत्र मुश्ताक खां
13. फरियाद खां पुत्र मुश्ताक खां
14. सतार खां पुत्र मुश्ताक खां
15. जाफर खां पुत्र मुश्ताक खां
16. गोस मोहम्मद पुत्र फिरीज खां
17. हकीम खां पुत्र फिरीज खां
18. मजीद खां पुत्र फिरीज खां
19. नानू खां पुत्र फिरीज खां
20. फुले खां पुत्र फिरीज खां

जाति कायमखानी निवासीगण जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

उपस्थित

1. श्री मो0 रशीद —अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार मलसीसर वास्ते प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4
3. प्रतिवादीगण सं. 5 ता 20 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः 18/12/2020

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मौजा जुहारपुरा तहसील मलसीसर में कृषि भूमि गत ख.नं. 12/1 तादादी 12 बीघ, गत ख.नं. 82/2 तादादी 07.15 बीघा किता 02 कुल तादादी 19.15 बीघा स्थित रही है। उपर्युक्त कृषि भूमि के पेमाईश के दौरान हाल ख. नं. 150, 153, 154, 155 तादादी क्रमशः 00.1800 हैक्टयर, 01.1500 हैक्टयर, 01.1100 हैक्टयर एवं 02.4000 हैक्टयर कुल तादादी 04.8400 हैक्टयर कायम किये गये। विवादित भूमि के नामांतरण सं. 37 दिनांक 15.05.1962 के अनुसार अमलदरामद जमाबंदी में होने पर 1/2 हिस्सा अशरफ खां तथा 1/2 हिस्सा फिरीज खां का था। अशरफ खां के वादी ही एक पुत्र संतान हुई तथा अशरफ के फौत होने पर वादगत भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी को प्राप्त हुई। फिरीज खां का 1/2 हिस्सा था, उनका देहांत हो गया। फिरीज खां के 7 पुत्र प्रतिवादी सं. 16 ता 20 व रजाक खां व मुश्ताक खां पैदा हुए। इसलिये मृतक फिरीज खां के प्रत्येक पुत्र का विवादित कृषि भूमि में से 1/14 हिस्सा हुआ। उपर्युक्त फिरीज खां के पुत्र रजाक खां का देहांत हो जाने से उनका 1/14 हिस्सा उनके वारिसान को प्राप्त हुआ तथा मृतक मुश्ताक खां के वारिसान को 1/14 हिस्सा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। विवादित कृषि भूमि को राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियें ने जमाबंदी सम्वत 2021 में कानूनन खातेदारों को बिना सुने ही महकमा कस्टोडियन के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी तथा बाद में सिवायचक दर्ज कर दी। जबकी विवादित जमीन 1962 से वादी एवं फिरीज खां के कब्जे काश्त में चजी आ रही है। राजस्थान सरकार ने बड़ा भाई होने से विवादित भूमि की सनद भी अशरफ खां के नाम जारी की गयी। वादी को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड का पहले पता नहीं था। वादी ने बैंक ऋण हेतु माह अप्रेल 2019 के दूसरे सप्ताह में जमाबंदी की नकल ली तो गलत रिकार्ड की जानकारी होने पर सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर दिनांक 03.06.2019 को प्रतिवादी सं. 4 को रिकार्ड दुरूस्त करने बाबत कहा तो उन्होंनें वादी एवं फरीद खां के वारिसान के नाम जमीन का रिकार्ड दुरूस्त करने से स्पष्ट ईनकार कर देने पर वादी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकार्ड हेतु वाद पेश कर दावा डिक्री करने की दादरसी चाही गयी

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 पर विधिवत तामील होने पर पैरोकार राज इनकी ओर से उपस्थित आये लेकिन कोई जवाब दावा पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण सं. 5 ता 20 पर विधिवत तामील होने के उपरांत भी न्यायालय में उपसंजात नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अभिवचन के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गये –

1. आया वादी ग्राम जुहारपुरा पटवार हल्का जाबासर की भूमि ख.नं. 150, 153, 154, 155 तादादी क्रमशः 00.1800 है0, 01.1500 है0, 01.1100 है0 एवं 02.4000 है0 कुल तादादी 04.8400 है0 है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 लगायत 20 खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है ?

–जिम्मे वादी–

2. आया उक्त विवादित भूमि पूर्व में महकमा कस्टोडियन विभाग के नाते दर्ज को श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक प/(5)(9)जि.रा.ले/2007–08/940–45, दिनांक 08. 07.2008 की पालना में नामांतरण सं. 33 से भूमि सिवायचक दर्ज हुई है, अतः वादी का वाद खारिज योग्य है ?

–जिम्मे वादी–

3. दादरसी ?

वादी हमीद खां पुत्र अशरफ खां अपने वाद को साबित करने के लिये सक्षम साक्षी होते हुए भी वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को वादी ने अपनी साक्ष्य से साबित किया हैं। वाद पत्रावली में हकीम खां जाति कायमखानी, निसार अहमद पुत्र हकीम खां जाति कायमखानी, प्यारेलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट तथा रामुराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासीगण जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं के शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक श्री रामावतार सोनी से तस्दीकशुदा शामिल पत्रावली है। शपथ पत्र प्रस्तुतकर्तागण हकीम खां, निसार अहमद, प्यारेलाल, रामुराम चारों के शपथ पत्र पत्रावली में पेश हुए है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति सनद, जमांबदी सम्वत 2012, जमाबंदी सम्वत 2013–16, जमाबंदी सम्वत 2017, जमांबदी सम्वत 2021, नामांतणकरण सं. 37 दिनांक 12.05. 1962, जमाबंदी सम्वत 2029–32, जमाबंदी 2025–2028, जमाबंदी 2042–45, जमाबंदी 2058–61, जमाबंदी 2064–67, जमाबंदी 2068–71 एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रति वादी हमीद खां ने अपनी स्वयं के साक्ष्य से साबित नहीं की गयी है। असल सनद या सनद की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में पेश नहीं की गयी है, ना ही वादी ने स्वयं की साक्षय से ही किसी दस्तावेज को साबित किया है। पत्रावली में पेश राजस्व अभिलेख को भी साक्ष्य से साबित नहीं करवाया गया है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने जुबानी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है तथा लिखित बहस में भी वाद में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृति करते हुए पेश की गयी है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

विवाद्यक सं.1– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा मुख्य परीक्षा का तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थापित विधि एवं निर्णयज विधि के मुताबिक मात्र वादी ही अपने वाद को साबित करने में सक्षम साक्षी होता है और अपनी साक्ष्य से वादी को ही अपने वाद को साबित करना होता है। वादी द्वारा अपने अभिवचन एवं दस्तावेजात को स्वयं की साक्ष्य से साबित किये बिना वादी के वाद में उनके तथ्यों को ही साबित माना जाना कानूनन संभव नहीं है। इसके अलावा वाद की पत्रावली में सर्वश्री निसार अहमद पुत्र हकीम खां जाति कायमखानी, प्यारेलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट, हमीद खां पत्र अशरफ एवं रामुराम पुत्र दीपाराम जाति जाट समस्त निवासीगण जुहारपुरा त. मलसीसर जि. झुंझुनूं द्वारा शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर पेश किये हुए पत्रावली में मौजूद हैं लेकिन उक्त शपथ पत्र भी राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 के निर्मित अनूसूची के अनुच्छेद 39 के मुताबिक नोटेरी पब्लिक द्वारा 10 रूपये की नोटेरी सटाम्प चस्पा कर तस्दीक नहीं किये गये। जबकी शपथ पत्र नोटेरी स्टाम्प चस्पा कर तस्दीक करना कानूनन आज्ञापक है, अन्यथा शपथ पत्र कानूनन तस्दीक किया नहीं माना जा सकता और किसी साक्ष्य में ग्राह नहीं हो सकता है। उपर्युक्त निसार अहमद, प्यारेलाल, हकीम खां एवं रामुराम के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का सत्यापन लेख भी विधिवत नहीं होने से साक्ष्य ग्राह नहीं है। क्योंकि शपथ पत्र के लिये आज्ञापक है कि अभिसाक्षी अपने कथन के संबंध में सत्यापन में स्पष्ट अंकित करें कि शपथ पत्र का कौनसा अंश उसके स्वंय के ज्ञान से सत्य है और कौनसा अंश उसे अन्य स्त्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिसे वह सत्य होना विश्वासपूर्वक स्वीकारता है तथा विश्वास के आधार का भी खुलासा करना आवश्यक है तथा इसका अलग–अलग अंकन किया जाना भी आवश्यक है इसलिए सत्यापन लेख विधिवत नहीं होने एवं नोटेरी द्वारा उचित स्टाम्प चस्पा किये बिना हकीम खां, निसार अहमद, प्यारेलाल व रामुराम के तस्दीक शपथ पत्र साक्ष्य में ग्राह किये जाने

योग्य नहीं है। विवाद्यक सं. 1 को साबित करने के लिये वादी की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की जाने से साक्ष्य के अभाव में तनकी सं.1 वादी के विरूद्ध निर्णत की जाती है।

विवाद्यक सं. 2– इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 पर था लेकिन प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 ने ना ही तो जवाब दावा पेश किया और ना ही साक्ष्य पेश की गयी। न्यायालय द्वारा तहसीलदार मलसीसर से विवादित भूमि बाबत रिपोर्ट मंगवायी गयी तो उन्होंने स्पष्ट किया कि विवादित भूमि पूर्व में कस्टोडियन विभाग के खाते में दर्ज थी और श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक प/(5)(9)जि.रा.ले/2007–08/940–45, दिनांक 08.07.2008 की पालना में तस्दीक नामांतरण सं. 33 से विवादित भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी। वादगत भूमि की सनद श्री अशरफ खां पुत्र हैदर खां के नाम तत्कालीन तहसीलदार द्वारा निर्धारित कीमत लेकर जारी की गयी। लेकिन अशरफ खां द्वारा अपने हक में जारी सनद का पंजीकरण नहीं करवाया और नामांतरण दर्ज नहीं होने से भूमि राजस्व रिकार्ड में महकमा कस्टोडियन के नाम खाते दर्ज रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में ही वादगत भूमि सम्वत 2021 में महकमा कस्टोडियन के नाम दर्ज होना अंकित है। वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पहले विधि के आज्ञापक प्रावधानों के तहत दफा 80(1) जा.दी. के तहत विधिक नोटिस दिये बिना ही वाद पेश किया गया है। वादी ने वादपत्र में वाद आवश्यक प्रकृति का होने एवं दफा 80(2) जा.दी. के तहत छूट प्राप्ति बाबत भी कोई कथन नहीं किया है तथा वादी द्वारा वाद प्रस्तुति से पहले न्यायालय से दफा 80(2) जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही न्यायालय से छूट प्राप्त कर वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत आंवटन सलाहकार समिति को ही कस्टोडियन भूमि के आंवटन के अधिकार हासिल होने से तहसीलदार द्वारा कथितरूपेण बिना आंवटन समिति के आंवटन किये ही राशि जमा करवाकर विवादित भूमि की सनद अशरफ खां के नाम जारी करने के कानूनन तहसीलदार को उक्त नियमों में अधिकार नहीं है। इसलिये अशरफ खां के हक में तहसीलदार द्वारा जारी सनद अधिकारबाहा है। वादी द्वारा अशरफ खां को कस्टोडियन भूमि का उक्त नियमों के तहत विधि अनुसार आवंटन किये जाने का कोई आदेश या आंवटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश कर विधि अनुसार अपनी साक्ष्य से साबित नहीं की गयी है। पत्रावली में मौजूद इंतकाल सं. 37 दिनांक 12.05.1962 के खाता सं. 13 में अंकित है कि "खातेदार अपनी काश्त छोड़कर पाकिस्तान चला गया है। अब इस भूमि को अरसा 11 साल से अशरफ खां वगैरह काश्त करते हैं एवं लगान जमा करवाते हैं।" इंतकाल दिनांक 08.05. 1962 को दर्ज किया गया तथा ग्राम पंचायत द्वारा इंतकाल मुताबिक इन्द्राज खाता सं. 11 हस्ब धारा 19 आर.टी.ए. मंजूर किया गया। इंतकाल सं. 37 में खाता सं. 5 में दर्ज खातेदार अरसा 11 वर्ष पहले पाकिस्तान चला जाना स्पष्ट अंकित होने से अशरफ खां कानूनन उपकृषक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके अलावा ग्राम पंचायत को धारा 19 रा.का. अधिनियम के तहत खातेदारी दर्ज करने का कोई अधिकार भी हासिल नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक इंतकाल स्वयं शून्य होने से इसके आधार पर अशरफ खां, फिरीज खां पि. हैदर खां जाति कायमखानी के दर्ज खातेदारी स्वयं शून्य साबित होती है। वादी ने दावा में इंतकाल सं. 37 के आधार पर खातेदारी होने तथा तहसीलदार द्वारा जारी सनद के आधार पर खातेदारी होना कथन कर वाद पेश किया है। सनद से खातेदारी होना स्वीकार करने से इंतकाल सं. 37 से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होना वादी के वादपत्र से स्वयं स्वीकृत तथ्य है। इसलिये विधि की स्पष्ट स्थिति से ही तनकी सं. 2 प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के हक में निर्णित की जाती है।

अनुतोष – तनकी सं. 1 व 2 के विवेचन के आधार पर रोही मौजा जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 150, 153, 154, 155 तादादी क्रमशः 00.1800 है0, 01.1500 है0, 01.1100 है0 एवं 02.4000 है0 किता 04 कुल तादादी 04.8400 है0 भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें तथा इसके अनुसार पर्चा डिक्री तैयार किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर